

कार्यालय उप वन संरक्षक, बाँसवाड़ा

क्रमांक / प () 14 / F.C.A. 1980 / OFC / उवसं / 2021 / 6718-20

दिनांक :- 11/11/22

निमित्त,
श्री विश्वेन्द्र सिंह चौहान,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
घाटोल।

विषय :- Diversion of 0.2968 Hectare of Forest land for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the Road Within the Existing Row from From garhi to peepalkhunt, M/s Jio Digitel Fibre Pvt. Limited. Total Route Length - 20.043 km." District - Banswara(Rajasthan) (FCA proposal No- FP/RJ/OFC/150331/2021)

महोदय,


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि M/s JIO Digitel Fibre Pvt. Ltd. Jiapur (Rajasthan) द्वारा आपकी रेंज अधिन वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.2968 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न भिजवाई जा कर लेख है कि निम्नानुसार सूचनाएं इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। ताकि तदनुसार प्रस्ताव में इस कार्यालय के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करवाई जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को अग्रेषित करवाया जा सके :-

1. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि का सर्वेयर कार्यालय हाजा एवं आवेदक के प्रतिनिधि के साथ मौका निरीक्षण कर वांछित वन भूमि का विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	वनखण्ड	खसरा नम्बर	C.N.	वनस्पति का घनत्व	OFC की लंबाई (मीटर)	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (लंबाई X0.45)
----------	--------------	--------------	--------	------------	------	------------------	---------------------	--

2. क्या प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वन भूमि के मौके की स्थिति प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों यथा Area calculation sheet, SOI Topo sheet, kml. File, Bar Chart, Dgps map, आदि में अंकित किए गये विवरण के अनुरूप ही है ? यदि कोई विरोधाभास हो तो तत्संबंधी विवरण से स्पष्ट रूप से अवगत करावें, अन्यथा प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ संख्या 27 से 30 को "Details Verified" अंकित करते हुए प्रत्येक पृष्ठ मय मोहर आपके हस्ताक्षर से प्रमाणित कर प्रस्तुत करें।
3. उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त मौका निरीक्षण के दौरान यदि आपके स्तर से अन्य और कोई बिंदु भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक समझा जावे तो मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अवश्य ही सम्मिलित किया जावे। (कृपया मूल पत्रावली इस कार्यालय को वापस लौटावें)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(जिगनेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बाँसवाड़ा


कमश: 2 पर


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. M/s Jio Digitel Fibre pvt. Ltd. Jiapur (Rajasthan) को प्रेषित कर लेख है की क्षेत्रीय वन अधिकारी, घाटोल (Mobile Contact No. 9828046598) से समन्वय स्थापित कर वांछित वन भूमि का मौका निरीक्षण करावें। उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण कार्यवाही के अलावा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित Forest rights settlement की प्रक्रिया भी आप द्वारा पूर्ण करवाई जानी है। अतः ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वांछित वन भूमि को संबंधित ग्राम के वास्तविक पैमाने के राजस्व मानचित्र पर दर्शा कर प्रस्तुत करें साथ ही वांछित कार्य हेतु खसरावार आवश्यक वन भूमि का विवरण भी निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें अन्यथा इसके अभाव में प्रस्ताव अग्रेषित करवाया जाना संभव नहीं होगा :-

क्र.सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	OFC की लंबाई (मीटर में)
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	----------------------------

2. श्री तुषार सिंह चौहान, सर्वेयर कार्यालय हाजा।


उप वन संरक्षक,
0/ बांसवाड़ा

Received

15/11/2022